(TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA PART-I SECTION-1)

No. F.9-1/2002-U.3(Pt.1)
Government of India
Ministry of Human Resource Development
Department of Higher Education
ICR Division

Shastri Bhawan, New Delhi-01,
Dated the 16th December, 2019

NOTIFICATION

Whereas, the Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an Institution of higher learning as deemed to be University.

2. **And whereas**, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government vide its Notification No.9-1/2002-U.3 dated 21.01.2003, on the advice of UGC, had declared Dr. M.G.R. Educational & Research Institute, Chennai, comprising (i) Thai Moogambigai Dental College and Hospital, Chennai and (ii) Dr. M.G.R. Engineering College, Maduravoyal, Chennai, as an Institution deemed to be University, subject to review of three years, and also with the condition that it will adhere to the guidelines / instructions issued by UGC & AICTE, from time to time as applicable to the deemed to be university.

3. **And whereas,** in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government vide its Notification No.10-9/2007-U3(A) dated 25th September, 2014 permitted inclusion of ACS Medical College & Hospital, Chennai under ambit of Dr. M.G.R. Educational & Research Institute, Chennai as a Constituent Institution.

4. **And whereas,** in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, vide its Notification No. 9-1/2002-U.3(Pt.1) dated 2nd July, 2018, extended the deemed to be University status to Dr. M.G.R. Educational & Research Institute, Chennai upto 30.06.2019 with the following conditions:

i. The entire land of the deemed to be university shall be acquired through leasehold up to the minimum period of 30 years as per the Regulations.
ii. The Institution shall submit compliance report w.r.t. suggestions / deficiencies pointed out by the UGC Expert Committee.

5. **And further whereas,** in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, vide its Notification No.10/4/2018-U3(A) dated 14th February, 2019 permitted inclusion of RajaRajeswari Medical College & Hospital, Bengaluru, Karnataka under ambit of Dr. M.G.R. Educational & Research Institute (Deemed to be University), Chennai as a Constituent Institution.

6. **And whereas,** the UGC constituted an Expert Committee to examine the performance and academic outcomes of the Dr. M.G.R. Educational & Research Institute, Chennai. The Committee, in its report, gave the **very good** grade to Dr. M.G.R. Educational & Research Institute, Chennai, Tamil Nadu on academic performance of the Institution and recommended for continuation of their Deemed to be University status. The report of the UGC Committee was considered by the Commission in its 544th meeting (Item No.2.12) held on 16.10.2019 in which the following resolution was passed:

"The Commission considered the report of the UGC Expert Standing Committee and resolved to continue/extend Deemed to be University status for those Institutions who were rated Excellent, Very Good & Good for academic performance by the Expert Committee. However, those Deemed to be Universities which were rated poor and average for academic performance will not be granted continuation / extension."

7. **Now, therefore**, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, on the advice of UGC and also after ensuring compliance of the conditions of the earlier Notifications, hereby extends the Deemed to be University status of Dr. M.G.R. Educational & Research Institute, Chennai, Tamil Nadu from 01.07.2019 onwards.

8. The all other conditions mentioned in the earlier Notification(s) of this Ministry as well as the Rules / Regulations of UGC and other Statutory Councils, issued from time to time, shall continue to be adhered by Dr. M.G.R. Educational & Research Institute, Chennai, Tamil Nadu.

(V.L.V.S.S. Subba Rao)
Senior Economic Advisor
Tel: 011-23073687

The Manager,
Government of India Press,
Minto Road, New Delhi - 110002.

Copy forwarded to:-

1. The Secretary, University Grants Commission, Bahadurshah Zafar Marg, New Delhi.
2. The Vice-Chancellor, Dr. M.G.R. Educational & Research Institute, Maduravoyal, Chennai-600095, Tamil Nadu.
3. The Principal Secretary (Higher Education Department), Government of Tamil Nadu Secretariat, Chennai-600009, Tamil Nadu.
4. The Secretary, Department of Higher Education, Government of Karnataka, Thiruvananthapuram, Kerala.
5. The Member Secretary, All India Council for Technical Education (AICTE), Nelson Mandela Marg, Vasant Kunj, New Delhi-110070.

6. The Secretary, Medical Council of India (MCI), Pocket-14, Sector-8, Dwarka Phase-I, New Delhi-110075.
7. The Secretary, Dental Council of India (DCI), Aiwan-E-Galib Marg, Kotla Road, Temple Lane, New Delhi-110002.
8. The Under Secretary (ME-P.II), Ministry of Health & Family Welfare, Nirman Bhawan, New Delhi-110011.
9. Press Information Bureau, Shastri Bhawan, New Delhi.
10. The Secretary General, Association of Indian Universities, AIU House, 16, Kotla Marg, New Delhi-2.
11. Web Master, Department of Higher Education, Shastri Bhavan, New Delhi. It is requested that CMIS Unit may kindly be instructed to display the Notification on the website (Home site) of the Department.
12. Guard file / Notification file.

(V.L.V.S.S. Subba Rao)
Senior Economic Advisor
Tel: 011-23073687

(भारत के राजपत्र के भाग-I, खंड-1 में प्रकाशनार्थ)

सं.एफ. 9-1/2002-यू.3 (पार्ट.1)

भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

आईसीआर प्रभाग

शास्त्री भवन, नई दिल्ली- 01,

दिनांक: 16 दिसम्बर, 2019

अधिसूचना

जबकि, केन्द्र सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत, यूजीसी की सलाह पर किसी उच्चतर अधिगम संस्था को सम-विश्वविद्यालय घोषित करने की शक्ति प्राप्त है।

2. **और जबकि**, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार ने यूजीसी की सलाह पर अपनी दिनांक 21.01.2003 की अधिसूचना सं. 9-1/2002-यू.3 के माध्यम से डॉ. एम.जी.आर. शैक्षिक और अनुसंधान संस्थान, चेन्नई, जिसमें (i) थाई मूंगमबिगाई डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, चेन्नई और (ii) डॉ. एम.जी.आर. इंजीनियरिंग कॉलेज, मदुरावॉयल, चेन्नई शामिल है, को तीन वर्षों की समीक्षा के अध्यधीन, और इस शर्त के अधीन कि यूजीसी एवं एआईसीटीई द्वारा समय-समय पर जारी सम विश्वविद्यालय पर यथा लागू दिशा-निर्देशों/अनुदेशों का अनुपालन करेगा, सम विश्वविद्यालय घोषित किया था।

3. **और जबकि,** केन्द्र सरकार ने यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपनी दिनांक 25 सितम्बर, 2014 की अधिसूचना सं. 10-9/2007.यू.3 (ए) के माध्यम से एसीएस मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, चेन्नई के एक घटक संस्थान के रूप में डॉ. एम.जी.आर. शैक्षिक और अनुसंधान संस्थान, चेन्नई के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत शामिल करने को मंजूरी दी थी।

4. और जबकि, केन्द्र सरकार ने यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपनी दिनांक 2 जुलाई, 2018 की अधिसूचना सं. 9-1/2002-यू.3(पार्ट.1) के माध्यम से निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन डॉ. एम.जी.आर. शैक्षिक एवं अनुसंधान संस्थान, चेन्नई का सम विश्वविद्यालय का दर्जा दिनांक 30.06.2019 तक बढ़ा दिया था:

i विनियमों के अनुसार सम विश्वविद्यालय की समग्र भूमि को कम से कम 30 वर्षों की अवधि के लिए पट्टेदारी के माध्यम से अधिग्रहित किया जाएगा।

ii संस्थान यूजीसी विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई सिफारिशों/कमियों के संदर्भ में अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

5. **और इसके अतिरिक्त जबकि,** केन्द्र सरकार ने यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपनी दिनांक 14 फरवरी, 2019 की अधिसूचना सं. 10/4/2018-यू3(ए) के माध्यम से राज राजेश्वरी मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल, बंगलुरू, कनार्टक के एक घटक संस्थान के रूप में डॉ. एम.जी.आर. शैक्षिक और अनुसंधान संस्थान, चेन्नई के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत शामिल करने को मंजूरी दी थी।

6. **और जबकि,** यूजीसी ने डॉ. एम.जी.आर. शैक्षिक एवं अनुसंधान संस्थान, चेन्नई के कार्य निष्पादन और शैक्षिक परिणामों की समीक्षा करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था। समिति ने संस्थान के शैक्षणिक कार्यनिष्पादन के आधार पर डॉ. एम.जी.आर. शैक्षिक और अनुसंधान संस्थान, चेन्नई, तमिलनाडु को बहुत अच्छा ग्रेड प्रदान किया था और सम विश्वविद्यालय का दर्जा जारी रखने की सिफारिश की थी। यूजीसी समिति की रिपोर्ट पर आयोग की दिनांक 16.10.2019 को हुई 544वीं बैठक (मद सं.2.12) में विचार किया गया था जिसमें निम्नलिखित संकल्प पारित किया था:

" आयोग ने यूजीसी की विशेषज्ञ स्थायी समिति की रिपोर्ट पर विचार किया और उन संस्थाओं जिन्हें विशेषज्ञ समिति द्वारा शैक्षणिक कार्यनिष्पादन के लिए उत्कृष्ट, बहुत अच्छा एवं अच्छा" रेटिंग प्रदान की गई है, का समविश्वविद्यालय का दर्जा जारी रखने/बढ़ाने का निर्णय किया है। तथापि, वे समविश्वविद्यालय जिन्हें शैक्षणिक कार्यनिष्पादन हेतु खराब और औसत रेटिंग प्रदान की गई है, उन्हें विस्तार/निरंतरता प्रदान नहीं की जाएगी।"

7. **अब, इसलिए,** केन्द्र सरकार, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यूजीसी के परामर्श और साथ ही पूर्व की अधिसूचनाओं की शर्तों के अनुपालन की सुनिश्चितता के पश्चात एतदद्वारा डॉ. एम.जी.आर. शैक्षिक एवं अनुसंधान संस्थान, चेन्नई, तमिलनाडु के समविश्वविद्यालय के दर्जे का 01.07.2019 से आगे विस्तार करती है।

8. डॉ. एम.जी.आर. शैक्षिक एवं अनुसंधान संस्थान, चेन्नई, तमिलनाडु द्वारा इस मंत्रालय की पूर्व अधिसूचना (अधिसूचनाओं) में उल्लिखित सभी अन्य शर्तों के साथ-साथ यूजीसी और अन्य सांविधिक परिषदों द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले नियमों/विनियमों का अनुपालन किया जाएगा।

सुब्बा राव

(वी.एल.वी.एस.एस. सुब्बा राव)
वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार
टेलि. 011-23073687

प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
मिन्टो रोड़, नई दिल्ली - 110002

प्रतिलिपि अग्रेषितः

1. सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली।
2. कुलपति, डॉ. एम.जी.आर. शैक्षिक और अनुसंधान संस्थान, मदुरावोयल चेन्नई - 600095 तमिलनाडु
3. प्रधान सचिव (उच्चतर शिक्षा विभाग), तमिलनाडु सरकार सचिवालय, चेन्नई - 600009 तमिलनाडु
4. सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग, कनार्टक सरकार, तिरूवनंतपुरम, केरल
5. सदस्य सचिव, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई), नेल्सन मंडेला मार्ग, वसंत कुंज, नई दिल्ली- 110070
6. सचिव, भारतीय चिकित्सा परिषद (एमसीआई), पाकेट-14, सेक्टर -8, द्वारका फेज-I, नई दिल्ली-110075।
7. सचिव, भारतीय दंत चिकित्सा परिषद (डीसीआई), एवान-ए-गालिब मार्ग, कोटला रोड, टैंपल लेन, नई दिल्ली-110011।
8. अवर सचिव (एमई-पी.II), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली - 110011
9. पत्र सूचना कार्यालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली
10. महा-सचिव, भारतीय विश्वविद्यालय संघ, एआईयू हाउस, 16, कोटला मार्ग, नई दिल्ली-110002
11. वेब मास्टर, उच्चतर शिक्षा विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली। अनुरोध है कि सीएमआईएस एकक इसे विभाग की वेसाइट (होम साइट) पर प्रदर्शित करें।
12. गार्ड फाइल/अधिसूचना फाइल।

सुब्बाराव
(वी.एल.वी.एस.एस. सुब्बा राव)
वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार
टेलि. 011-23073687